"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 325] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 30, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 (अग्रहायण 30, 1933)

क्रमांक-14517/वि.स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011) जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 27 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 237 का संशोधन.

2\. (1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 237 की उपधारा (2) का लोप किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 237 की उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) इस संहिता के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित भूमि को सुरक्षित रखने के पश्चात् उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में वर्णित उस ग्राम की कुल कृषि भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत के आधिक्य की भूमि को अन्य प्रयोजनों के लिए, यथा कृषि, आबादी, सड़क निर्माण, नहर, तालाब, अस्पताल, शाला, कॉलेज, विद्युत केन्द्र, गौशाला, घटकारों (कुम्हारों) द्वारा मिट्टी का उत्खनन या अन्य किसी सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं जैसा कि राज्य शासन द्वारा अवधारित किया जाए, के लिए व्यपवर्तित कर सकेगा."

(3) मूल अधिनियम की धारा 237 की उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(4) जब उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए पृथक रखी गई भूमि का व्यपवर्तन, राज्य शासन की अथवा राज्य शासन द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए अपरिहार्य हो जाए, किन्तु जो उप-धारा (3) में सम्मिलित नहीं है, तब कलेक्टर, स्वयं को संतुष्ट कर लेने के उपरांत कि ऐसे निस्तार अधिकारों की पूर्ति हेतु समान क्षेत्र की वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करा दी गई है, भूमि के ऐसे प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तन का युक्ति-युक्त आदेश पारित कर सकेगा."

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह एवं अन्य विरुद्ध पंजाब सरकार एवं अन्य के सिविल अपील क्रमांक 1132/2011 में पारित निर्णय दिनांक 28 जनवरी, 2011 में दिये गये निर्देश के पालन हेतु आम निस्तारी भूमि को सुरक्षित रखे जाने के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 में संशोधन आवश्यक है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

तारीख 19 दिसम्बर, 2011

अमर अग्रवाल
राजस्व मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 की उपधारा (2), (3) का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 237. उपधारा (2) उपधारा (1) में वर्णित किसी प्रयोजन के लिये विशेष रूप से पृथक रखी गई भूमियां, कलेक्टर की मंजूरी से ही व्यपवर्तित की जायेंगी, अन्यथा नहीं.

(3). इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर, ग्राम सभा द्वारा इस प्रभाव के संकल पारित कर दिये जाने के आधार पर ऐसी दखलरहित भूमि को, जो उपधारा (1) के खण्ड (ख) में वर्णित प्रयोजनों के लिये पृथक् रखी गई हो, उक्त प्रयोजनों के लिए उस ग्राम की कृषिक भूमि का न्यूनतम दो प्रतिशत क्षेत्र सुरक्षित रखते हुए, आबादी या कृषिक प्रयोजनों के लिये व्यपवर्तित कर सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.